Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 1, April-2017, ISSN 2230-7540

भारत-पाक संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंध

Sonu*

Research Scholar, Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan

----------X----------

भारत-पाक संघर्ष एक प्रकृति को सही रूप से समझने के लिये भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तु निष्ठ अध्ययन अपरिहार्य है। विभाजन की घटना ने दो समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को क्रूरतम ढ़ंग से उजागर किया है। विभाजन के बाद सभी समस्याओं के स्वतः ही सुलझ जाने का सपना देखने वालों ने जब वास्तविकता पर नजर दौड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म से समस्याएँ सुलझाने की अपेक्षा उलझ गयी और इस महाद्वीप में नये संघर्ष का सूत्रपात हुआ जो अपनी प्रकृति से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था। कुलदीप नैयर के शब्दों में "विभाजन के लिये आप किसी को भी दोषी ठहरायें। वास्तविकता यह है कि इस पागलपन ने दो समुदायों और दो देशों के बीच दो पीढ़ीयों से भी अधिक समय तक के लिए संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में हर विषय और हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया और छोटी-छोटी बात ने बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया।" माईकल ब्रेशर ने ठीक ही लिखा है" भरत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। "भारत पाक संबंधों की चर्चा करते हुये पं0 नेहरू ने भारतीय संसद में स्पष्ट कहा कि" लोगों में यह भ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि कश्मीर विवाद ही दोनों देशों के संघर्ष का कारण है।

हमारी मूलभूत विचारधारा ही भिन्न है। हम धर्म-निरपेक्षता वाद में विश्वास करते हैं किन्तु पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धान्त में विश्वास करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार कश्मीर में मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के लिये एक असहनीय तथ्य है। भारत के प्रति शत्रुता का विचार पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति का एक अनिवार्य अंग बन गया है।

भारत-पाक युद्ध 1965:

अप्रैल 1965 में कच्छ के रन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो गया। पाकिस्तानी सेना की दो टुकड़ियाँ भारतीय क्षेत्र में आ घुंसी और कच्छ के कई भागों पर अधिकार कर लिया। कच्छ के रन में उत्पात के साथ-साथ पाकिस्तान ने कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारम्भ कर दी थी। यह घुसपैठ पूर्णयोजना बद्ध थी। चीन की सहायता से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को छापामार युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। योजना के अनुसार छापामार दस्ता शस्त्रों से सज्जित होकर असैनिक वेश में कश्मीर में घुसने वाला था। कश्मीर में वास्तविक रूप से उपद्रव एवं तोड़फोड़ द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की योजना थी जिससे भारतीय सेना को कश्मीर से भागना पड़ा। पाकिस्तान का विश्वास था कि कश्मीर की जनता छापामारों का साथ देगी। किन्तु यह विश्वास अन्त में असत्य प्रमाणित हुआ। 4 व 5 अगस्त, 1965 को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक कश्मीर में घुस आये। पाकिस्तानी घुसपैठ को सदैव के लिये रोकने के विचार से भारत सरकार ने उन स्थानों पर अधिकार करने का निर्णय किया जहां से होकर पाकिस्तानी घुसपैठिये कश्मीर के भारतीय हिस्से में आते थे। इसी बीच पाकिस्तान की नियमित सेना ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का पार करके भारतीय भू-भाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से युद्ध प्रारम्भ हो गया। 4 सितम्बर, 1965 को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पास कर भारत और पाकिस्तान दोनों से अपील की कि वे युद्ध विराम करें। 22 सितम्बर, 1965 को दोनों देशों में युद्ध बन्द हो गया। भारत को युद्ध में 750 वर्गमील भूमि मिली। जबकि पाकिस्तान को 210 वर्गमील भूमि मिली। यह युद्ध भारत-पाकिस्तान के कटु संबंधों की अन्तिम परिणति थी।

ताशकन्द समझौता:

सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिये ताशकन्द में आमन्त्रित किया। 14 जनवरी, 1966 को प्रसिद्ध सम्मेलन प्रारम्भ हुआ और सोवियत संघ के प्रयत्नों के फलस्वरूप 10 जनवरी, 1966 को प्रसिद्ध ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर हुये।

www.ignited.in

भारत-पाक युद्ध 1971 तथा शिमला समझौता:

पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में असन्तोष जा रहा था। शेखजुजीब के नेतृत्व में बांग्लादेश में स्वायŸाता का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान पूर्णतः मुजीब के साथ-साथ याह्या खाँ ने बंगालियों पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये। पूर्वी बंगाल के घोर अत्याचारों से घबराकर बंगाली घरबार, सामान छोड़कर जान बचाने हेतु भारत की सीमा में प्रवेश करने लगे। 10 हजार शरणार्थी प्रतिदिन भारत आने लगे। शरणार्थियों की संख्या भारत में एक लाख तक पहुँच गयी। इसी समय 2 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तानी वायुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी कर दी। 4 दिसम्बर, 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया भारत के विमानों ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर बम वर्षा की। 16 दिसम्बर, 1971 को ढ़ाका में एक सैनिक समारोह में जनरल निया जी ने भारत के ले. जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सम्मुख आत्म समर्पण कर दिया। उनके साथ 93 हजार सैनिकों ने भी हथियार डाल दिये और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बंगला देश स्वतंत्र हो गया तथा भारत ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। भारत इस युद्ध में पाकिस्तान की 6 हजार वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। पाकिस्तान ने जनरल याह्या खाँ के स्थान पर सत्ता जुल्फीकार अलरी भुट्टो के हाथ में आ गयी। भुट्टो और श्रीमती इन्दिरा गाँधी में पत्र व्यवहार हुआ और 28 जून, 1972 को शिमला में दोनों देशों के मध्य वार्ता होना तय हुआ। 3 जुलाई, 1972 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के निम्नलिखित मुख्य उपबन्ध थे।

1. दोनों सरकारों ने यह निश्चय किया कि दोनों देश परस्पर संघर्ष को समाप्त करते हैं जिससे दोनों देशों में बिगाड़ उत्पन्न हुआ था।

2. दोनों ही सरकारें अपनी ही सामथ्र्य के अनुसार एक-दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगी।

3. आपसी संबंधों में समानता लाने की दृष्टि से

(क) दोनों राष्ट्रों के बीच डाक, तार सेवा, जल, थल, वायु मार्गों द्वारा पुनः संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

(ख) एक-दूसरे के नागरिक और निकट आयें इसलिए नागरिकों को आने-जाने की सुविधाएँ दी जाऐंगी।

(ग) जहां तक सम्भव हो सके व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों में सहयोग का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू होगा।

(घ) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में आदान-प्रदान बढ़ाया जायेगा।

4. स्थाई शान्ति कायम करने की प्रक्रिया का सिलसिला आरम्भ करने के लिये दोनों सरकारें सहमत हैं कि

(क) भारत और पाकिस्तान की सेनाएँ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जायेंगी।

(ख) दोनों देश बिना एक-दूसरे की स्थिति को क्षति पहुंचाये जम्मू कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को हुये एक युद्ध विराम के फलस्वरूप नियंत्रण रेखा को मान्य रखेंगे।

(ग) सेनाओं की वापसी इस समझौते के 30 दिन के भीतर पूरी हो जायेगी।

5. शिमला समझौते के क्रियान्वयन के लिये दोनों देशों के शासनाध्यक्ष परस्पर मिलते रहेंगे।

भारत-पाक संबंध रिश्तों को सुधारने के प्रयत्न:

भारत-पाक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के प्रयत्न भी किये जाते रहे है। ताशकन्द समझौता तथा शिमला समझौता कुछ इसी प्रकार के प्रयत्न थे। 1974 में जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ। उससे युद्धबन्दियों की समस्या का समाधान हुआ। नवम्बर 1974 में दोनों देशों में डाक, तार, यात्रा आदि विषयों के बारे में समझौता हुआ। नवम्बर 1974 में व्यापार समझौता हुआ। 1976 में दोनों देशों ने कूटनीतिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने का निश्चय किया। 14 अप्रैल, 1978 को सलाल जल सन्धि विद्युत परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान में एक सन्धि हुई जो सलाल जल सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। जब 1979 में पाकिस्तान ने सेंष्टो की सदस्यता त्याग दी तो उसे सितम्बर 1979 में हवाना शिखर सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता प्रदान कर दी गई और भारत ने उसका विरोध नहीं किया। 17 दिसम्बर, 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जिया उल हक के मध्य एक छः सूत्री समझौता हुआ जिसमें तय किया गया कि वे एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। 10 जनवरी, 1986 को भारत और पाकिस्तान के आपसी आर्थिक सम्बन्धों में एक नये युग की शुरूआत हुई। दोनों देशों के बीच

www.ignited.in

मुक्त व्यापार पुनः शुरू करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापार को दुगना करने, दोनों देशों के बीच सीधी डायल सेवा करने व वायु सेवा सुविधा बढ़ाने पर सहमत हुई।

भारत-पाक संबंध वर्तमान स्थिति:

कुलदीप नैययर के अनुसार, "आज भी भारत और पाकिस्तान दूर के पड़ोसी हैं।" पाकिस्तानी प्रैस भारत विरोधी प्रचार में निरन्तर लगा रहता है। द्विपक्षीय मुद्दों को पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उछालता रहता है और अमेरिका से सैनिक सामान घातक एफ 16 विमान हार्फुन नामक जहाज आदि खरीद रहा है। इन दिनों लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर चलने वाला संघर्ष भी दोनों ओर कटुता को ही बढ़ावा दे रहा है। पिछले पाँच-छः वर्षों में इस विवाद को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई छोटी बड़ी झड़पें हो चुकी हैं।भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान सिख तथा जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को प्रेरणा, सहायता और परीक्षण दे रहा है। नवम्बर, 1986 में पाकिस्तान ने सैनिक अभ्यास के बहाने भारत से लगी सीमा पर भारी संख्या में सेना तैनात कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों में तनाव के हाल पैदा हो गये। सौभाग्य से दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य 5 दिन की बातचीत के बाद 4 जनवरी, 1987 को एक समझौता हो गया और युद्ध का खतरा टल गया। पाकिस्तान द्वारा एटम बम बनाने का प्रयत्न भारतीय महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा के लिए एक नया खतरा उपस्थित कर रहा है।

संक्षेप में दोनों देश आज भी एक-दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति निरन्तर बढ़ाता जा रहा है। जिससे भारत का परेशान होना स्वाभाविक है। गहन अविश्वास और परस्पर संदेह के कारण भारत-पाक संबंधों में भीषण कटुता आ गई है। पाकिस्तान से मैत्री पूर्ण संबंध बनाने के हर प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए और चीन तथा पाकिस्तान में से पाकिस्तान को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कश्मीर की समस्या और भारत-अमेरिका संबंध:

कश्मीर की समस्या दोनों देशों के बीच एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह है। जो समय-समय पर लावा उगलती रहती है। अलाप माइकल के शब्दों में "कश्मीर समस्या अनिवार्यता भूमि या पानी की समस्या नहीं यह लोगों और प्रतिष्ठा की समस्या है।"

कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद जहां भारत और पाकिस्तान दो नये राज्य बने वाहं देशी रियासतों एक प्रकार से स्वतंत्र हो गयी। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छानुसार भारत और पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं अधिकांश रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में मिल गयी और उनकी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। भारत के लिये हैदराबाद और जूनागढ़ ने अवश्य समस्या उत्पन्न कर दी थी। परन्तु वह शीघ्र ही हल कर ली गई। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की थी। भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित वह राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। यहां की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्म था परन्तु यहां का आनुवांशिक शासक हिन्दु राजा था। अगस्त 1947 में कश्मीर के शासक ने अपने विलय के विषय में कोई तत्कालीन निर्णय नहीं लिया। पाकिस्तान इसे अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर, 1947 को उत्तर-पश्चिम सीमा प्रानत के कबालियों ने एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी अपने सैनिकों का जमाव कर लिया। 4 दिनों के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्री नगर से 25 मील दूर बारामूला तक जा पहुंचे। 26 अक्टूबर को कश्मीर के शासक ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना की। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाऐं कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया।

भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया। प्रारम्भ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना की कि कबायलियों का मार्ग बन्द कर दें। जब इस बात के प्रमाण मिलने लगे कि पाकिस्तान की सरकार स्वयं इन कबायलियों की सहायता कर रही है तो 1 जनवरी, 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कवायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को खतरा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि कश्मीर का भारत में असैंवधानिक है। सुरक्षा परिषद् ने इस समस्या का समाधान करने के लिए पाँच राष्ट्रों चेकोस्लावयिा, अर्जेन्टाइना, अमेरिका, कोलम्बिया और बेल्जियम को सदस्य नियुक्त कर मौके पर स्थिति का अवलोकन करके समझौता कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र आयोग की नियुक्ति की।

संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्य:

संयुक्त राज्य आयोग ने तुरन्त अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया और मौके पर स्थिति का अध्ययन कर 13 अगस्त, 1948 को दोनों पक्षों से युद्ध बन्द करने और समझौता करने हेतु निम्न आधार प्रस्तुत किये:

1. पाकिस्तान अपनी सेनाएँ कश्मीर से हटाने तथा कवायलियों और सामान्य रुप से कश्मीर में न रहने वाले विदेशियों को भी हटाने का प्रयत्न करे।

2. सेनाओं द्वारा खाली किये गये प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरीक्षण में करे।

3. जब आयोग भारत को पाकिस्तान द्वारा उपर्युक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना दे तो भारत भी समझौते के अनुसार अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले।

4. अन्तिम समझौता होने तक भारत सरकार युद्ध-विराम के अन्दर उतनी ही सेनाए रखे जितनी की इस प्रदेश मे कानून और व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए वांछनीय हो।

इस सिद्धांत के आधार पर दोनों पक्ष एक लम्बी वार्ता के लिये बाद 1 जनवरी, 1949 को युद्ध विराम के लिये सहमत हो गये। कश्मीर के विलय का अन्तिम फैसला जनमत संग्रह के माध्यम से किया जाना था। जनमत संग्रह की शर्तों को पूरा करने के लिए एक अमेरिकी नागरिक एडमिरल चेस्टर निमित्ज की प्रशासक नियुक्त किया गया। उन्होंने जनमत संग्रह के प्रश्न पर दोनों पक्षों से बात चीत की किन्तु उसका परिणाम नहीं निकला। अन्त में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया।

युद्ध विराम रेखा निर्धारित हो जाने पर पाक के हाथ में कश्मीर का 32000 वर्ग मील क्षेत्रफल रह गया। इसकी जनसंख्या 7 लाख थी। पाकिस्तान ने इसे क्षेत्र को "आजाद कश्मीर" कहा। युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत के अधिकार में 53000 वर्ग मील क्षेत्रफल था जिसकी जनसंख्या 33 लाख थी।

नेहरू जनमत संग्रह के लिये तैयार थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह शर्त लगा दी कि पाकिस्तान द्वारा हस्तगत क्षेत्र से जब पाकिस्तानी सेना पूर्णतयाः हट जाएगी। तभी जनमत संग्रह होगा। पाकिस्तान आजाद कश्मीर से अपनी सेनाऐं हटाने के लिए तैयार न था और बिना सेनाऐं हटाये जनमत संग्रह हो नहीं सकता था। पाकिस्तान ने अमेरिका से 1954 में सैनिक संधि कर ली। वह 1955 में बगदाद पैक्ट का भी सदस्य हो गया। उसने कुछ अड्डे अमेरिका को भी दे दिये। इससे भारत ने खतरा अनुभव किया। भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर लेने के लिए अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा रहा है। अतः परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जवाहर लाल नेहरू ने अपनी कश्मीर नीति मे परिवर्तन कर लिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह करना सम्भव नहीं है। इसी समय सोवियत संघ का कश्मीर के प्रश्न पर भारत को समर्थन मिल गया। जिससे भारत की स्थिति मजबूत हो गई। उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत तथा सुरक्षा परिषद् में एक शक्तिशाली मित्र हो गया। 1950 में पं0 नेहरू ने पाकिस्तान से "युद्ध वर्जन सन्धि करने का प्रस्ताव रखा परन्तु पाकिस्तान ने उसे ठुकरा दिया।"

6 जनवरी, 1954 को कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में होने की पुष्टि कर दी। भारत सरकार ने भारतीय संविधान में संशोधन कर 14 मई, 1954 को अनु0 370 के अन्तर्गत कश्मीर को विशेष दर्जा दे दिया। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया।

इसके बाद भी पाकिस्तान बार-बार कश्मीर का प्रश्न उठाता रहा। 2 जनवरी, 1957 को सुरक्षा परिषद् में इस प्रश्न को उठाया गया। बिट्रेन, फ्रांस और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान का समर्थन करते हुये कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जनमत संग्रह कराया जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ की आपात सेना वहां भेजी जाए। भारत ने प्रस्ताव का घोर विरोध किया। भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया। भारतीय प्रतिनिधि कृष्णा मैनन ने अपने 7 घण्टे 48 मिनट के लम्बे ऐतिहासिक भाषण में कहा कि मूल प्रश्न यह नहीं है कि जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हो या न हो मूल समस्या यह है कि जम्मू कश्मीर से पाकिस्तानी सेनाएँ अभी तक क्यों नहीं निकली। 1962 में सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान ने कश्मीर में आत्म निर्णय की मांग दोहरायी। इस प्रस्ताव को सोवियत संघ ने वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। जब-जब मौका मिलता है पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्न को उठाता रहता है। अप्रैल 1982 में जनरल जिया ने कहा कि कश्मीर एक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है। मार्च, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सांतवे गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भी जनरल जिया ने कश्मीर को एक विवादास्पद

www.ignited.in

मुद्दा बताया। सितम्बर 1992 में गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा फिर से उठाया। पाक प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलन में भारत के विरूद्ध आरोप लगाया कि वह कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है।

वस्तुतः भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर तनाव का मुख्य कारण है। यह कश्मीर को अब भी एक समस्या मानता है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार- "हमारी भावनाएँ अब भी कश्मीर के बारे में वैसी ही हैं जैसी कि पहले थी। परन्तु एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने 1972 में शिमला सम्मेलन के दौरान भी कश्मीर देना स्वीकार नहीं किया।" भारत का मत था कि पाकिस्तान कश्मीर तथा अन्य कोई द्विपीक्षय मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कभी नहीं उठा सकता। लेकिन पाकिस्तान इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजस्थान पत्रिका, 20.3.1998, पृष्ठ 8
2. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार- वार्षिक रिपोर्ट, 1998.99, पृष्ठ 74
3. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार- वार्षिक रिपोर्ट, 1998.99, पृष्ठ 74
4. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार- वार्षिक रिपोर्ट, 1996.96, पृष्ठ 82-83
5. फेरिक डेविड, अन्तर्राष्ट्रीय कानून में आतंकवाद की परिभाषा व उसके निरोध पर अनुचिन्तन, त्रसेलस वि0वि0 के संस्करण, 1974

Corresponding Author

Sonu*

Research Scholar, Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan

E-Mail – bhardwajsonu80@gmail.com